सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

NCPCR

कोंडागांव खंडपीठ/शिविर रिपोर्ट:

दिनांक: 29 नवम्बर, 2019

स्थान: सभा कक्ष, जिला पंचायत, कोंडागांव, छत्तीसगढ़

Working Report

सीपीसीआर अधिनियम 2005 के 13 (1) (j) बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें लेने के लिए आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ जिले के कोंडागांव में दिनांक को खंडपीठ/शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता माननीय सदस्य श्री यशवंत जैन जी द्वारा की गयी। शिविर में जिला अधिकारी के साथ जिला प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

I. खंडपीठ/शिविर की मुख्य विशेषताएं

- खंडपीठद्वारा 1834 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमे 269 शिकायतों पर आदेश पारित किए।
- माननीय सदस्य यशवंत जैन द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय कोंडागांव में पानी की घंटी का शुभ आरंभ किया गया।
- आंगनवाडी बच्चो को वर्दी वितरित की गयी।
- स्मार्ट कक्षाओं के लिए स्कूल के शिक्षको को टेबलेट का वितरण किया गया।
- तेंदुआ पत्ता के मजदूरों के ((200 लगभगबच्चों को छात्रवृति का वितरण कुल रूपये 10,19000/- किया गया।
- स्कूल छात्रों को सेनेटरी पैड का वितरण किया गया।
- बच्चों का 25 आधार कार्ड नामांकन किया गया।
- विभिन्न विभागों द्वारा 12 स्टाल लगाए गए!

II. <u>खंडपीठ/शिविर से पूर्व की गतिविधि</u>:-

i. <u>बच्चों के कल्याण के लिए कोंडागांव के संबंधित संस्थानों का निरीक्षण</u>

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गठित टीम ने दिनांक 26.11.2019 को प्राथमिक स्वास्थ केंद्र विश्रामपुरी गाँव, बदरजपुर ब्लॉक कोंडागांव छत्तीसगढ़ का दौरा किया। केंद्र साफ और सुथरा था और पक्की बिल्डिंगमें कार्यरत था! टीम केंद्र के प्रभारी और मेडिकल ऑफिसर (अनुराग भारती, एमबीबीएस) से मिली जिन्होंने आयोग की टीम को बताया की नौ स्वीकृत पदों में सिर्फ तीन डॉक्टर हैं, बाल चिकित्सा वार्ड में

कोई बाल रोग विशेषज्ञ नहीं थे। साथ ही उन्होंने टीम को पीएचसी का दौरा कराया! आयोग ने पाया की, तीन बच्चे विगत दो दिन में जन्मे थे, जिनका ध्यान एक एएनएम द्वारा रखा जा रहा था, जो एएनएम डिलीवरी भी करवाती है। प्राथमिक स्वास्थ केंद्र विश्रामपुरी में स्त्रीरोग विशेषज्ञ नहीं थे! केंद्र में वेंटिलेटर कक्ष में 4-5 वेंटिलेटर भी हैं लेकिन इसे चलाने के लिए कोई तकनिकी विशेषज्ञ नहीं थे। टीम ने देखा कि आमतौर पर बच्चे सिकल सेल एनीमिया, कम वजन, कुपोषण से पीड़ित हैं। प्राइमरी स्वास्थ केंद्र विश्रामपुरी में पोषण पुनर्वास केंद्र को मंजूरी मिल चुकी है जिसका परिसर में भवन का निर्माण कार्य चल रहा था।

टीम ने प्राइमरी स्वास्थ केंद्र विश्रामपुरी में प्रभारी के साथ शर्तों का पालन करते हुए पाया कि वह यौन अपराध से पीड़ितों के कानूनी अधिकारों से अवगत नहीं हैं। टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि प्राइमरी स्वास्थ केंद्र विश्रामपुरी में जागरूक करने के हेतु एक यौन अपराध से पीड़ितों के कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता शिविर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि कानूनी अधिकारों के बारे में अद्यतन किया जा सके!

ii. बालिका आश्रम एवं सूरज विकास संस्थान बालक बालग्रह, कोंडागांव, (चिल्ड्रेन होम)

आयोग की टीम ने बालिका ग्रह एवं बाल ग्रह का दौरा किया! निरिक्षण के दौरान वह 18 बालिकाएं बालिका ग्रह तथा 33 बालक बाल ग्रह उपस्थित थे! यह दोनों संस्था किराए के एक पक्के भवन में संचालित थी! बालिका ग्रह तीन तल व बाल ग्रह दो तल थे! निचे के तल में ऑफिस था! बालिका ग्रह में बच्चे के कमरे ऊपर के दो तल व बाल ग्रह में बच्चे के कमरे दोनों तल पर स्तिथ थे! बालक एवं बलिकयों से बात करने पर पाया गया कि वे आश्रम ग्रह में खुश थे, स्कूल जाती थे और त्योहारों के समय में घर भी जाते थे! आश्रम में खाना सरकारी नियमों के अनुसार बने मेनू के आधार पर नही दिया जाता था! जिला स्तर पर होने वाली एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिय कुछ बलिकयों एवं बालक तैयार हो रहे थे!

आश्रम के संचालकों द्वारा बताया की दो माह पहले उनको जिला बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा जे जे एक्ट 2015 पर जानकारी दी गयी थी और उसी के अनुसार रिकाड्र्स भी परिवर्तित किये गए है! आश्रम में सभी रिकाड्र्स उपलब्ध में!

iii. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालय, शासकीय पूर्व मध्य विद्यालय एंड शासकीय प्राथमिक विद्यालय, कोरगांव

टीम ने तीन स्कूलों का दौरा किया, तीन ही विद्यालय बालक बालिका सह- शिक्षा स्कूल थे! प्रत्येक कक्षा में छात्रों की उपस्थिति अची संख्या में थी! शौचालयों में स्वच्छता नहीं थी, अच्छी तरह से रखरखाव नहीं किया गया था! स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन स्थापित की गई थी, लेकिन वह काम करने की स्थिति में नहीं थी! स्कूल में कुछ स्मार्ट कक्षाएं लेने की भी व्यवस्था थीं! कृषि की कक्षाओं के लिए कोई भी उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे! छात्रों को स्वच्छता और शुद्ध पेयजल प्रदान नहीं किया गया था, गंदे पानी के

गिलास के साथ जंग लगा पानी का ड्रम रखा था! पंखे टूटे हुए थे, विज्ञान प्रयोगशाला में भी आवश्यक सामानों की कमी है। टीम ने यह भी देखा कि स्कूल में कोई बाउंड्रीवाल नहीं थी!

विद्यालय में उपस्थित छात्रों को NCPCR द्वारा लगे जाने वाले कैंप की जानकारी प्रदान की गयी! अध्यापकों को भी सुझाव दिया गया की वह आवश्यक उपकरणों, बेहतर सफाई, शुद्ध पेयजल उपलब्ध, स्कूल के बुनियादी ढांचे पर कम काम करें और सम्बंधित विभाग की सहायता ले!

गैर सरकारी संगठन परामर्श बैठक

खंडपीठ/शिविर से पहले, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिनांक ,27नवम्बर को गैर 2019 सरकारी संगठन के साथ वर्तमानखंडपीठ/शिविर के लिए एनसीपीसीआर द्वारा गठित टीम ने परामर्श बैठक की। उस सत्र में, एनसीपीसीआर की टीम ने एनसीपीसीआर की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और खंडपीठ/शिविर के संचालन के उद्देश्य के बारे में एनजीओ को सूचित किया। एनजीओ को इस पूरी प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारी के बारे में भी बताया गया और उनसे कहा गया कि वे अपने जिलों से खंडपीठ/शिविर की बैठक वाले दिन बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें लाएँ। केवल 3 NGO थे जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया!

परामर्श बैठक के मुख्य आकर्षण बिंदु- :

1. नीति आयोग दर्पण पोर्टल में पंजीकृत 3 एनजीओ की सूची में से केवल 'साथी समाज सेवी संस्थान' एनजीओ ने जिला प्रशासन सभागार, में परामर्श बैठक में भाग लिया।

2. कोंडागांव के 3 एनजीओ साथी समाज सेवी संस्थान, सूरज विकास संस्थान बालक बालग्रह, व छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालग्रह (बालिका) कोंडागांव, बच्चों की शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सीसीआई, के क्षेत्र से प्रतिनिधि थे।

3. नीति आयोग दर्पण पोर्टल में पंजीकृत 3 गैर-सरकारी संगठनों को भेजे गए ईमेल के आधार पर और पीठ के समक्ष एक सप्ताह के भीतर कॉल-अप शुरू होने के बाद 2 एनजीओ द्वारा कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई। साथी समाज सेवी संस्थान व चाइल्ड लाइन द्वारा खंडपीठ/शिविर की बैठक वाले दिन शिकायतें लाई गयी!

4. मीटिंग में उपस्थित गैर-सरकारी संगठनों को एनसीपीसीआर खंडपीठ/शिविर की बैठक के बारे में जागरूकता फैलाने और यथासंभव शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

<u>जिला अधिकारीयों के साथ बैठक</u>

आयोग की टीम ने NGO की बैठक के पश्चात् जिला अधिकारीयों के साथ समन्वय बैठक की! सभी अधिकारीयों को बैठक का उदेश्य, शिविर के दौरान उनकी जिम्मेदारियों और अपेक्षा की जानकारी दी गयी व उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी! बैठक में कुल 37 अधिकारीयों ने भाग लिया!

III. <u>खंडपीठ/शिविर के दिन</u>

आयोग ने 29 नवम्बर 2019 को छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में अपनी खंडपीठ/शिविर का आयोजन किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के माननीय सदस्य श्री यशवंत जैन, कोंडागांव के जिला कलेक्टर, जिला पंचायत अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस प्रशासन, बाल कल्याण समिति, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, एवं जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे! बेंच के दिन उपस्थित अधिकारियों की सूची को क्रमशः संलग्नक-'अ' में रखा गया है। **खंडपीठ/शिविर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार रही:-** खंडपीठ/शिविर द्वारा 1834 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमे 269 शिकायतों पर आदेश पारित किए; माननीय सदस्य यशवंत जैन द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय कोंडागांव में पानी की घंटी का शुभ आरंभ किया गया; आंगनवाडी बच्चो को वर्दी वितरित की गयी; स्मार्ट कक्षाओं के लिए स्कूल के शिक्षको को टेबलेट का वितरण किया गया; तेंदुआ पत्ता के मजदूरों के (200 लगभग) बच्चों को छात्रवृति का वितरण कुल रूपये 10, 19000/- किया गया; स्कूल छात्रों को सेनेटरी पैड का वितरण किया गया; 25 बच्चों का आधार कार्ड नामांकन किया गया; विभिन्न विभागों द्वारा 12 स्टाल लगाए गए!

आयोग को 1834 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 269 मामलों की सुनवाई खंडपीठ/शिविर द्वारा की गयी।

शिकायतों का विवरण

क्रमांक	विषय	शिकायतें

1	शिक्षा सम्बंधित	538
2	जे जे सम्बंधित	465
3	यौन शौषण सम्बंधित	2
4	स्वास्थ्य	829
	कुल	1834

शिक्षा सम्बंधित शिकयों की विस्तृत जानकारी : 3- क्षतिग्रस्त सड़क; 20- शिक्षकों की अनुपलब्धता, कर्मचारियों की कमी; 115- छात्रवृत्ति; 7- खेल सामग्री का अभाव; 15- स्कूलों में बिजली की अनुपलब्धता; 1- शारीरिक प्रताड़ना; 3- लैब उपकरणों की गैर उपलब्धता; 374, स्कूल में इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मुद्दे जैसे कमरे की कमी, पानी की सुविधा, कम्पाउंट वॉल, शौचालय आदि।

जे जे सम्बंधित शिकयों की विस्तृत जानकारी: 317- इनकम, कास्ट, बर्थ आदि जैसे सर्टिफिकेट से संबंधित; 89-आधार कार्ड; 16- राशन कार्ड ; 12- विविध; 9- बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है; 1-बेंक में खाता खोलने हेतु; 2- स्पोंसोर्शिप; 1- लापता बच्चा; 1-तिपहिया वाहन हेतु; 1-बच्चों का पहले से चल रहे प्रकरण, 15- विकलांगता भत्ता, 1- आश्रय प्रदान करने हेतु!

स्वास्थ्य सम्बंधित शिकयों की विस्तृत जानकारी: 658- आंगनवाड़ी से जुड़े मुद्दे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ आदि' 23- आवश्यक चिकित्सा सुविधा हेतु; 55- विकलांगता प्रमाण पत्र और पेंशन, ट्राइसाइकिल हेतु; 2- आयुर्वेदिक चिकित्सक के नाम पर धोखाधड़ी; 1- पीएचसी का अभाव; 16- समुदाय में स्वच्छता से संबंधित मुद्दे, 2- स्वास्थ्य समार्ट कार्ड; 1- पानी की सुविधा का अभाव; 60- उपचार के लिए अनुरोध; 8- आवश्यक आंगनवाड़ी केंद्र हेतु; 3- बिजली की कमी!

यौन शौषण सम्बंधित- दो शिकायतें

v. <u>नीति आयोग के संकेत के आधार पर शिकायतों का मूल्यांकन</u>

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खंडपीठ/शिविर का संचालन उन जिलों में किया जा रहा है जिन्हें नीति आयोग द्वारा 'आकांक्षात्मक' घोषित किया गया है। नीति आयोग ने पाँच क्षेत्रोंस्वास्थ्य -, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी संरचना में अलग किए गए संकेतकों के आधार पर 49 इन जिलों का विश्लेषण किया। चूंकि एनसीपीसीआर के पास बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में शिकायतें लेने काअधिकार है। इसलिए, आयोग ने दो प्रमुख क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है शिक्षा और स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बंधित बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं पर, आकांक्षात्मक जिले में

खंडपीठ/शिविर का संचालन करते समय आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच करते हुए, नीति आयोग द्वारा निर्धारित अन्य संकेतकों के आधार पर सभी शिकायतों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

क्र. सं.	क्षेत्र	नीति आयोग के संकेतक	संकेतकों के आधार पर प्राप्त शिकायतें	जिला
2	**शिक्षा**	शौचालय का उपयोगकार्यात्मक : लड़कियों के शौचालयों के साथ प्रतिशत विद्यालय	374, स्कूल में इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मुद्दे जैसे कमरे की कमी, पानी की सुविधा, कम्पाउंट वॉल, शौचालय आदि।	कोंडागांव
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**नीति आयोग के संकेतक**	**संकेतकों के आधार पर प्राप्त शिकायतें**	**जिला**
1	**स्वास्थ्य**	इमारतों के साथ आंगनवाड़ियों का अनुपात	658, आंगनवाड़ी से जुड़े मुद्दे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ आदि! मुद्दे!	कोंडागांव

vi. <u>परिणाम</u>:

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से संबंधित खंडपीठ/शिविर का आयोजन करते हुए आयोग द्वारा प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई थी। स्कूल, कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि का मुख्य कारण है कि जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी अस्तित्व की सुविधाएं हमेशा पहुंच से बाहर रही हैं। जनजातीय लोगों को अलगाव में जीने के लिए अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी भी एक बड़ी बाधा साबित हुई है। जनजातीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी की अपर्याप्त स्थिति, शिक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने भी जिले के लोगों की स्थिति को कमजोर करने का काम किया है।

नतीजतन, सम्बंधित लोगों के अधिकार के निर्वाह हेतु एक मौका के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने खंडपीठशिविर/ के दिन 1834शिकायतें प्राप्त हुई जिसमे शिकायतों 269 पर खंडपीठ शिविर/के दिन सुनवाई की गयी और सम्बंधित विभागों को निर्धारित समय अवधि के तहत खंडपीठ शिविर/ के बैठने के दिन बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत किया गया। खंडपीठ!शिविर को इसका प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ/ बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, और किशोर न्याय के व्यापक क्षेत्रों के तहत बाल अधिकारों के उल्लंघन से सम्बंधित मामले प्राप्त किए गए। आयोग को जिला प्रशासन, कोंडागांव से व्यापक समर्थन मिला। जिला प्रशासन के अलावा स्वयंसेवकों ने खंडपीठ शिविर/की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मदद की। चाइल्डलाइन और शिक्षकों ने शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने व शिकायतों को लिखने में मदद की। आयोग द्वारा विभिन्न बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों और नीतियों की निगरानी और कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।

खण्डपीठ के द्वारा
के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों के
दिनांक - 29 नवम्बर